प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 1647 / 2013

- पूर्व एस.आई.(जीडी) यदुवीर सिंह बिष्ट (वाई.एस.बिष्ट) पुत्र स्वर्गीय बलवंत सिंह बिष्ट आयु लगभग 63 वर्ष, संख्या 710240216, बीएन–55 सीआरपीएफ आर / ओ आरजेड सी–2–134–डी, महाबीर एनक्लेव, पार्ट–1 गली नंबर 4, नई दिल्ली–110045

—— याचिकाकर्ता

बनाम

1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय, 14 स्टर्लिंग सिनेमा भवन, द्वितीय तल, 65 मुर्जबान गली मुंबई–400001
2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, बिलासपुर, छ0ग0।
3. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ0ग0।
4. पुलिस अधीक्षक, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छ0ग0।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

—— उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री तृष्णा दास, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण / राज्य की ओर से : सुश्री आस्था शुक्ला, पीएल

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुडी

आदेश

02 / 07 / 2021

1. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

2. प्रस्तुत याचिका, याचिकाकर्ता को प्रतिकरे के बदले बीमा दावे के विरुद्ध 5 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए है, क्योंकि याचिकाकर्ता बम का पता लगाने और बम निरोधक दस्ता में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दिनांक 15.02.2007 को बारुदी सुरंग विस्फोट के कारण घायल हो गया था। इसलिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ राज्य सरकार के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, याचिकाकर्ता के पैर में 45% तक की स्थायी विकलांगता हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह नौकरी करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया है, इसलिए वह 5 लाख रुपये का दावा प्राप्त करने का हकदार है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता जंगल में तलाशी अभियान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और उस समय दंतेवाड़ा में एक प्रेशर बम पर उसका पैर पड़ जाने के परिणामस्वरूप उसके दाहिने पैर और कोहनी में गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज किया गया, लेकिन ठीक होने के बाद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा 45% की सीमा तक रिकवरी विकलांगता का आंकलन किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि काम जोखिम भरा था, इसलिए राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति में कर्मचारी की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए बीमा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उक्त एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सली हिंसा के लिए प्रभावी था और नीति के अनुसार अंग, आंख या कान के क्षति की स्थिति में उसे 5 लाख रुपये की सुनिश्चित राशि दी जानी थी, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता आता है। यह कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक और अधिकारियों ने बार–बार पत्रों के माध्यम से 5 लाख रुपये की उक्त राशि जारी करने की सिफारिश की, लेकिन अंततः बीमा कंपनी द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भी प्रेषित किया गया लेकिन उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, इसलिए अंततः यह याचिका दायर की गई है। ***चनप्पा नागप्पा मुचलगोड़ा बनाम डिवीजनल मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड {एआईआर 2020 एससी 166}*** के मामले में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित कानून का भी संदर्भ दिया गया है ताकि यह सादृश्य बनाया जा सके कि शरीर के अंग की क्षति का पेशे से संबंध होगा और इस मामले में अंग के क्षति ने याचिकाकर्ता को मानसिक और शारीरिक पीड़ा के अलावा भविष्य में सेवानिवृत्त होने तक समान नौकरी करने में असमर्थ बना दिया है। इसलिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 5 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए।

4. राज्य के अनुसार, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त होने से पहले एक भूतपूर्व सैनिक था और सीआरपीएफ में उपनिरीक्षक के रूप में काम करता था और वह जिला दंतेवाड़ा में कैंप अरनपुर जो दंतेवाड़ा जिले का एक नक्सली क्षेत्र है, में पदस्थ था। दिनांक 15.02.2007 को एक गश्ती दल क्षेत्र वर्चस्व और तलाशी के लिए आगे बढ़ा और जब वे वापस कैंप अरनपुर लौट रहे थे, तो एक प्रेशर बम फट गया और याचिकाकर्ता, जो बम निरोधक दस्ते के तहत काम कर रहा था, घायल हो गया और तलाशी के बाद प्रेशर बम को खोदा गया और इस आशय की एक रिपोर्ट एफ.आई.आर. संख्या 0/2007 दिनांक 05.02.2007 के रूप में पी.एस. कैंप अरनपुर जिला दंतेवाड़ा में दर्ज की गई। राज्य के अनुसार, नक्सली क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया था और इसलिए, छत्तीसगढ़ राज्य और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और जब यह घटना हुई थी, तो उस समझौता ज्ञापन के मद्देनजर जो लागू था और उसके खंड 8 में यह कहा गया था कि दावा संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पश्चात, दावे का निपटारा एक महीने के भीतर यथाशीघ्र किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. राज्य द्वारा आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल याचिकाकर्ता द्वारा राज्य प्राधिकारियों के समक्ष दावा किए जाने पर, पत्र को सबसे पहले दिनांक 02.04.2011 को सभी संबंधित दस्तावेजों अर्थात् घायल याचिकाकर्ता के दावे, एफआईआर की प्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रतियों आदि के साथ मंडल प्रबंधक को भेजा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पश्चात् दिनांक 24.06.20211 को एक और पत्र जारी किया गया, जिसके बाद दिनांक 01.11.2011 एव 08.02.2013 को पत्र जारी किए गए तथा अंतिम पत्र दिनांक

21.08.2013 को जारी किया गया, हालांकि वह राशि जारी नहीं की गई थी जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है।

6. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 5 लाख रुपये का दावा पाने के लिए किसी भी राहत का हकदार नहीं था, इसके बदले वह 1 लाख रुपये का हकदार था क्योंकि एमओयू के अनुसार याचिकाकर्ता को लगी चोट की प्रकृति अंग या शरीर की स्थायी हानि/क्षति के दायरे में आती है। इसलिए, याचिकाकर्ता 1 लाख रुपये प्राप्त करने का हकदार है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट में केवल 45% विकलांगता के बारे में कहा गया है। परिणामस्वरुप राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 5 लाख रुपये की सीमा तक याचिकाकर्ता का दावा कायम नहीं रह सकता।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण कर, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हस्तगत प्रकरण का स्वीकृत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता नक्सली तलाशी अभियान में अपने कर्तव्य का पालन करते समय प्रेशर बम से घायल हो गया था। याचिकाकर्ता बम निरोधक दस्ते में काम कर रहा था। उक्त चोट के कारण उसे 45% स्थायी विकलांगता हो गई थी। राज्य सरकार ने नक्सली अभियान में लगे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका पूरा उद्देश्य अपने कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था, ताकि ऐसे खतरनाक और जोखिम भरे काम करने वालों को वित्तीय सहायता मिल सके। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जैसे लोगों के कारण ही ऐसे जीवन के लिए खतरा बने हालात में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले शहरी क्षेत्र के आम लोग, जिनमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी भी शामिल हैं, सुखद नींद सो पाते हैं। याचिकाकर्ता जैसे लोगों के कारण ही नक्सली अभियान एक खास क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं और उन्हें पूरे राज्य में फैलने नहीं दिया जाता। इसलिए राज्य सरकार ने अपने बल का मनोबल बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनी के साथ

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि मानव क्षति और शारीरिक क्षति के बीच संतुलन बनाया जा सके और अन्य तरीकों से सहायता देकर इसे कम किया जा सके।

9. राज्य सरकार और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच रिकॉर्ड में दर्ज विशेष विषय के लिए समझौता ज्ञापन, उसके प्रासंगिक खण्ड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :–

1– बीमा पॉलिसी छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत पुलिस कर्मियों को कवर करेगी।

2– यह पॉलिसी छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी नक्सल संबंधी हिंसा के लिए प्रभावी होगी।

4– सभी दावों की राशि सभी के लिए समान होगी, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो।

6– पॉलिसी के तहत लाभ निम्नानुसार हैं :

1	मृत्यु	बीमा राशि का 100%	रुपये 10,00,000.00
2	स्थायी विकलांगता	बीमा राशि का 100%	रुपये 10,00,000.00
3	दो अंगों या दो आंखों या दो कानों की हानि	बीमा राशि का 100%	रुपये 10,00,000.00
4	एक अंग या एक आंख या एक कान की हानि	बीमा राशि का 50%	रुपये 5,00,000.00
5	शरीर के किसी भी भाग की स्थायी हानि/क्षति	बीमा राशि का 10%	रुपये 1,00,000.00
6	चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति सप्ताह 10,000/– रुपये का एकमुश्त भुगतान, अधिकतम 20,000/–रुपये तक		रुपये 20,000.00
7	पुलिस कर्मी की मृत्यु पर बच्चों की शिक्षा प्रतिकर।		रुपये 25,000.00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8– उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रासंगिक दावा दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् दावे का निपटारा यथाशीघ्र एक माह के भीतर किया जाएगा।

10. याचिकाकर्ता जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है, को स्थायी शारीरिक चोट लगी है। उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत है :–

" विकलांगता प्रमाण पत्र "

जिला चिकित्सा बोर्डः जगदलपुर

प्रमाण पत्र संख्या 240, दिनांकः 17/09/07

(विकलांगता को दर्शाने वाली हाल ही की सत्यापित तस्वीर यहाँ चिपकाई गई है)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाई.एस. बिष्ट, पुत्र श्री बलवंत सिंह बिष्ट, आयुः 56 वर्ष पुरुष, पंजीकरण संख्या 55 बीएन सीआरपीएफ जेडी क्रॉस मैलुनिल्ड फ्रैक्चर कैलेडियम (आरटी) के मामले में प्रतिबंध। वह शारीरिक रूप से विकलांग है, और उसकी 45% (पैंतालीस प्रतिशत) स्थायी (शारीरिक रूप से विकलांग और उसकी स्थायी विकलांगता के संबंध में) है।

आरटी की गतिविधि .....और.....आरटी एलएल में

नोटः 1. यह स्थिति गैर–प्रगतिशील है और इसमें सुधार की संभावना नहीं है।

2. महीनों/वर्षों की अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा नहीं की जाती है।

हस्ता–

उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

11. दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात राज्य की ओर से दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि राज्य ने अपने पत्र दिनांक 02.04.2011, 24.06.2011, 01.11.2011, 08.02.2013 और 21.08.2013 द्वारा बारम्बार मंडल प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को चोट की प्रकृति पर विचार करते हुए 5 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए अनुशंसित किया।

12. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि चोट का प्रतिशत व्यावसायिक अक्षमता को प्रभावित करेगा यदि चोट की प्रकृति किसी व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक क्षमता से 100% अक्षम बनाती है, तो ऐसे मामले में इसे स्थायी अक्षमता माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ***चनप्पा नागप्पा मुचलगोड़ा बनाम डिवीजनल मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड {एआईआर 2020 एससी 166}*** के मामले में विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई चोट किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यवसाय को करने में असमर्थ बनाती है, तो इसे उपार्जन क्षमता का 100% नुकसान माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण में, चूंकि याचिकाकर्ता सीआरपीएफ के तहत बम का पता लगाने एवं बम निरोधक दस्ता में उपनिरीक्षक के पद में कार्यरत था और दुर्घटना के बाद उसे चोट लग गई, इसलिए चोट के कारण उसे तलाशी अभियान के जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके लिए ड्यूटी के दौरान विशेष गतिविधियों की आवश्यकता होती है, इसलिए जब तक याचिकाकर्ता 100% की सीमा तक फिट नहीं होता तब तक वह उस कर्तव्य की प्रकृति का निर्वहन नहीं कर सकता था, जो याचिकाकर्ता निभा रहा था। परिणामस्वरूप जिस चोट के कारण दाएँ पैर का हिस्सा 45% तक विकलांग हो गया है तथा जिसके कारण याचिकाकर्ता पहले की तरह आक्रामकता के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया है, उसे अंग की हानि माना जाएगा। अंग की हानि के अर्थ को संकीर्ण व्याख्या या परिभाषा नहीं दी जा सकती है कि केवल अंग की हानि के लिए ही गणना पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बम के संपर्क में आने की घटना होती है, तो वह उसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गले नहीं लगाएगा, बल्कि उच्च दावा प्राप्त करने के लिए अंग की हानि की परिभाषा के अंतर्गत आने के लिए अपने शरीर के अंग को विच्छेदित नहीं करवाएगा। इसलिए पैर की 45% स्थायी विकलांगता के कारण याचिकाकर्ता द्वारा नौकरी को पूर्ण रूप से करने में असमर्थता का अर्थ होगा कि नक्सली अभियान में स्थायी विकलांगता के कारण उसी कार्य को करने के लिए अयोग्य हो जाना समझौता ज्ञापन के अनुसार अंग की हानि के बराबर होगा। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को केवल बीमा कंपनी द्वारा देयता से बचने के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार करने से व्यवस्था में विश्वास खत्म होगा और नक्सली अभियान में काम करने वाले लोगों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उन पर बिना किसी सुरक्षा भावना के तलवार लटक रही है।

13. इसलिए, यह मेरा सुविचारित राय है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता को बीमा दावे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकार है। दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि राज्य द्वारा बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता को लगी चोट को दृष्टिगत रखते हुए 5 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए राजी करने और विभिन्न पत्र लिखे जाने के बावजूद, बीमा कंपनी निष्क्रिय रही। बीमा कंपनी के प्रत्युत्तर में भी इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि राज्य द्वारा लिखे गए पत्र 2011 से प्राप्त नहीं हुए हैं। तदानुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि बीमा कंपनी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगी, जिस पर जनवरी 2008 से 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. तदानुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

हस्ता./–

गौतम भादुड़ी

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur